73 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28.02.2008

आज दिनांक 28.02.2008 को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 73वीं बोर्ड बैठक प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नानुसार सदस्यों एवं अधिकारियों की उपस्थिति है:–

1. श्री सुभाष कुमार, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल — अध्यक्ष
2. डा0 राकेश कुमार,जिलाधिकारी एवं उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण — उपाध्यक्ष
3. श्री सुशील कुमार, मुख्य नगर अधिकारी,देहरादून — सदस्य
4. श्री देवेन्द्र पालीवाल, प्रतिनिधि, वित्त, उत्तरांचल शासन — सदस्य
5. श्री शर्मा, प्रतिनिधि मुख्य नगर नियोजक — सदस्य
6. श्री पी0सी0 खरे मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून। — विशेष आमंत्री

विषय कमांक :— **प्राधिकरण में विभिन्न श्रेणी में कार्यरत 110 कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान में प्रतिकर पैकेज के अन्तर्गत दिये जा रहे वेतन में वार्षिक वृद्धि एवं समस्त भत्ते दिये जाने के सम्बन्ध में।**

विचार विमर्श के दौरान प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा दिये जा रहे प्रतिकर भत्ते में बढोतरी करते हुये परिचालन के माध्यम से प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाये।

विषय कमांक 2 :— **प्राधिकरण में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी/संविदा कर्मचारियों का ई0पी0एफ0/सी0पी0एफ0 काटे जाने के सम्बन्ध में।**

विचार विमर्श के दौरान प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दैनिक वेतन भोगी/संविदा कर्मचारियों के वेतन से ई0पी0एफ0 की कटौती की जाये।

विषय कमांक 3 :— **प्राधिकरण में कार्यरत श्री भगवती शर्मा को कम्प्यूटर आपरेटर/सहायक प्रोग्रामर का वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में।**

विचार विमर्श के दौरान प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री शर्मा को दिये जा रहे वेतन में बढ़ोतरी करते हुए एकमुश्त धनराशि दी जाये।

विषय कमांक 4 :— **मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, 12 प्रीतम रोड स्थित भूमि पर नये सिरे से कार्यालय भवन का निर्माण।**

विचार विमर्श के दौरान प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आवासीय क्षेत्र होने के कारण इस भूखण्ड पर प्राधिकरण द्वारा एपार्टमेन्ट का निर्माण किया जाये तथा प्राधिकरण कार्यालय को आई0एस0बी0टी0 के पास रिक्त भूमि में स्थानान्तरित किया जाये।

विषय कमांक 5 :— सहारनपुर रोड पर ट्रान्सपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत सहारनपुर रोड पर व्यवसायिक/ कार्यालय भवन का निर्माण जाने के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के दौरान प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अग्रिम कार्यवाही जाने हेतु निर्देश दिये गये।

विषय कमांक 6 :— डिस्पेन्सरी रोड स्थित पशु चिकित्सालय एवं तहसील की भूमि नियोजन

विचार विमर्श के दौरान प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि पशु चिकित्सालय की भूमि का कब्जा लेते हुए उन्हें एक भूमि ट्रान्सपोर्टनगर फेस–2 में उपलब्ध कराई जाये तथा कार्यालय भवन का निर्माण प्राधिकरण द्वारा किया जाये अथवा निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध करा दी जाये।

विषय कमांक 7 :— श्री प्रहलाद सिंह रावत, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परि मसूरी को संयुक्त सचिव/उपसिचव, मसूरी देहरादून विक प्राधिकरण, देहरादून का अतिरिक्त कार्यभार दिये जाने के सम्बन्ध में

विचार विमर्श के दौरान प्रस्ताव पर सर्वसम्मति निर्णय लिया गया श्री प्रहलाद सिंह रावत,अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मसूरी क्षेत्र के अनाधिकृत निर्माणों पर अंकुश लगाने हेतु अ व्यवस्था तक इनके द्वारा देखे जा रहे कार्यो के अतिरिक्त प्राधिकरण उपसचिव नियुक्त किया जाता है।

क 8 :— मानचित्र संख्या सी–08 / 07–08 (सुनील गोयल, अजय गोयल गॉधी रोड) को परिचालन के माध्यम से स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में ।

विचार विमर्श के दौरान प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी।

क 9 :— राजपुर रोड के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के दौरान प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी।

विषय कमांक 1:— मसूरी नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत नोटिफाईड प्राईवेट फोरेस्ट इस्टेट एवं अनोटिफाईड इस्टेट व अन्य वन स्वरूप क्षेत्रों के चिन्हिकरण हेतु मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

बैठक मे विचार विमर्श के दौरान निर्णय लिया गया कि मसूरी नगर पालिका क्षेत्र में नोटिफाईड प्राइवेट फोरेस्ट इस्टेट एवं अननोटिफाईड इस्टेट व अन्य वन स्वरूप क्षेत्रों के चिन्हिकरण, सर्वेक्षण हेतु रूपये 48,59,800.00 का भुगतान सर्वे आफ इण्डिया को किया जाना है, उसमें 50 प्रतिशत का भुगतान एम0डी0डी0ए0 व 50 प्रतिशत का भुगतान वन विभाग द्वारा किया जायेगा।

विषय कमांक 2 :— ग्राम अस्थल के खसरा नम्बर पुराने 50, 52, 46एम तथा नये 61घ, 63घ, 65क,69, 72, 73घ में प्रस्तावित मन्दिर एवं मोनेस्टरी के भवन मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के दौरान प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सहयुक्त नगर नियोजक द्वारा अपनी टिप्पणी में कम से कम आवासीय की भॉति 09 मीटर रोड को निरस्त करते हुए वर्तमान में उपलब्ध सड़क पर ही मानचित्र स्वीकृत करने के निर्देश दिये गये।

अनूपरक विषय कमांक 3 :– माजरा देहरादून में सिटी सेन्टर बनाये जाने के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के दौरान प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गय प्रस्ताव में संशोधन कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

अनूपरक विषय कमांक 4 :– श्री राजन अग्रवाल पुत्र श्री आर0एस0 अग्रवाल, अध्यक्ष ट्रिनिटी एजुकेशनल सोसायटी द्वारा ख0न0 1,3,,4 क मौजा बंशीवाला तथ ख0न0 1क,1ग,2,3,4,5,6, एवं 18क मौजा मेहरे गॉव में स्थित रक्वा 0 66674 हेक्टे0 भूमि पर बी0एड0 कालेज एवं हास्टल हेतु प्रस्तुत भवन मानचित्र की स्वीकृति हेतु मानको में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के दौरान प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गय कि एजेण्डे में उठाये गये दोनो बिन्दुओ पर एन0सी0टी0ई0 के मानक के अनुसार परीक्षण कर स्वीकृति प्रदान की जाये।

अनूपरक विषय कमांक 5:–प्रकाश लोक फेस तृतीय वेलफेयर सोसाइटी भूमि खसरा नम्बर 50,51,52 एवं 55 ग्राम पित्थुवाला देहरादून की प्रोरेट के आधार पर स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के दौरान प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कालोनी की वर्तमान स्थिति के अनुसार विकास कार्यो की वास्तविक लागत आंकलित करते हुए विकास शुल्क निर्धारित किया जाये तथा उसी के आधार पर मानचित्र स्वीकृति किये जाये।

अनूपरक विषय कमांक 6 :–मानचित्र संख्या 1667/07–08 ग्राम निरंजनपुर की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के दौरान प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गय कि प्रश्नगत प्रकरण पर स्थलीय निरीक्षण कर यदि पूर्व में अन्य ऐसे प्रकरणों में स्वीकृति प्रदान की गयी हो तो उसी की भॉति इस प्रकरण की भी स्वीकृति प्रदान करते हुये शासन को अवगत कराने का कष्ट करें ।

अनुपूरक विषय कमांक 7:— श्री गुरजीत सिंह द्वारा स्थल 60—60/1 त्यागी रोड, देहरादून पर प्रस्तावित होटल के मानचित्र सं0 सी—61/05—06 के संबंध में।

विचार विमर्श के दौरान प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित मानचित्र बिना भू—उपयोग परिवर्तन शुल्क के स्वीकृत किया जाये।

(डा0राकेश कुमार)
जिलाधिकारी/ उपाध्यक्ष,
म0दे0वि0प्रा0
देहरादून।

(सुभाष कुमार)
आयुक्त/अध्यक्ष,
म0दे0वि0प्रा0
देहरादून।